डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई 2001—आषाढ़ 19, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2001

क्रमांक 1807/21-अ (निर्वा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित की गई अधिसूचना क्रमांक 1807/21-अ (निर्वा.)/छग/2001, दिनांक 10 जुलाई, 2001 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु , अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1807/21-अ (निर्वा.)/छग/2001.—यत: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की यह राय है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है :

अतएव छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा उनको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती इंग्रेड क्रिस्टन मैकलॉडड, निवासी तिवारी चाल, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तिवारी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2001

क्रमांक 1807/21-अ (निर्वा.)/छग/2001.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1807/21-अ (निर्वा.)/छग/2001, दिनांक 10 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तिवारी, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 10th July 2001

NOTIFICATION

No. 1807/XXI-A (Elec.)/ C.G./ 2001.—Whereas the Governor of Chhattisgarh is of opinion that the Anglo-Indian Community is not represent in the Chhattisgarh Legislative Assembly :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on him by Article 333 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to nominate Smt. Ingrid Christine Mcleod, R/o. Tiwari Chal, Rajendra Nagar, Bilaspur, Chhattisgarh to be a member of the said Legislative Assembly.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K.TIWARI, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.